डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उनवान शिवदयाल बनाम राजवीर वगै0

मुकदमा नंबर 150/2015

दावा बाबत् 88,89,,188 रा0का0 अधिनियम

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू .....– व हाजरी वादी मिनजानिब मुददठ व ..... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादीगण का वाद पत्र सिद्ध ना होने के कारण खारिज किया जाता है।

बेज – मुबलिग – – – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ————————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ———— की अदा करें ।

ह दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 23.12.24 को जारी की गई ।

दस्तखत 23/12/24

मुहर

मुददई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बावत इजराय हुक्म नामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी म्हनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बवत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

1. शिवदयाल पुत्र करनसिंह उर्फ दीवान जाति जाट निवासी कौठेन खुर्द तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. करतार पुत्र करनसिंह उर्फ दीवान जाति जाट निवासी कौठेन खुर्द तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. विनोद पुत्र करनसिंह उर्फ दीवान जाति जाट निवासी कौठेन खुर्द तहसील नदबई जिला भरतपुर।

— वादीगण

बनाम

1. राजवीर पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी कौठेन खुर्द तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. रामवीर पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी कौठेन खुर्द तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. श्यामवीर पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी कौठेन खुर्द तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. प्रेमसिंह पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी कौठेन खुर्द तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
6. पी.एन.बी. शाखा लखनपुर

— प्रतिवादीगण

23/12/24

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 150/2015
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2015/00275
किस्म दावा 88.89.188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 23.12.24

1. शिवदयाल पुत्र करनसिंह उर्फ दीवान जाति जाट निवासी कौठेन खुर्द तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. करतार पुत्र करनसिंह उर्फ दीवान जाति जाट निवासी कौठेन खुर्द तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. विनोद पुत्र करनसिंह उर्फ दीवान जाति जाट निवासी कौठेन खुर्द तहसील नदबई जिला भरतपुर।

— वादीगण

बनाम

1. राजवीर पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी कौठेन खुर्द तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. रामवीर पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी कौठेन खुर्द तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. श्यामवीर पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी कौठेन खुर्द तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. प्रेमसिंह पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी कौठेन खुर्द तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
6. पी.एन.बी. शाखा लखनपुर

— प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री फूलसिंह सिनसिनवार एड.(वादी की ओर से)

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

23/12/24

1. यह कि विवादित आराजी हाल एवं गत खसरा नंबरान का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है।

हाल ख0नं0 संवत 2060	गत ख0 नं0 संवत 2023	गत ख0नं1910 से
398/ 0.24 है.	336 रकवा 11 बि0	295 रकवा 1 बी.15बि.
428/0.06है.	349 रकबा 5 बि.	305 रकबा 0.13 बि.
429/0.04 हैक्ट.	368 रकवा 03 विस्वा	305

इस प्रकार हाल खसरा नम्बर किता 3 कुल रकवा 0.34 हैक्ट. साबिक खसरा नम्बर के मुताबिक मिलान क्षेत्रफल निर्मित किये गये है।

2. यह कि विवादित आराजी वाद के साबिक खसरा नम्बरान जमाबंन्दी संवत 2013 से 2016 में वादीगण के पिता करनसिंह उर्फ दीवान व प्रतिवादीगण के पिता गोरधन तथा तीसरे भाई अंगूर जिसका देहानत बिला औलाद हो चुका है। आराजी मुतनाजा के जमीदारान व मालिक हिस्सा 1/3 के व अन्य अपने अपने हिससे अनुसार खुदकाश्त दर्ज रिकॉर्ड कि गई थी लेकिन आराजी मुतनाजा पर वादीगण के पिता का नाम बतौर खुदकात दर्ज नही कर सिर्फ प्रतिवादीगण के पिता का नाम दर्ज किया गया जो गलत है क्योकि जमीदारी विस्वेदारी उनमूलन एक्ट की धारा 29(2) के तहत सभी मालिक की खुद काश्त दर्ज की जानी चाहिए तथा इस प्रकार एक सह खातेदार काश्तकार का कब्जा भी सभी सह काश्तकारो का कब्जा माना जावेगां। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादीगण के साथ हिस्सा निस्फ के खातेदार काश्तकार वा हिस्सा बराबर घोषित किया जावें तथा अकेले प्रतिवादीगण के नाम हो रहे इन्द्राजातो को कलमंजन किया जावें।

3. यह है कि आराजी पर वादीगण प्रतिवादीगण के साथ हिस्सा निस्फ पर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है लकिन प्रतिवादीगण के नाम हो रहे गलत इन्द्राजात के आधार पर उन्होने आराजी से बेदखल करने व दीगर व्यक्तिओ को विक्रय करने कि धमकी दी गई उक्त दी गई धकमी में कामयाब हो गये तो वादीगण को अजीम क्षति होंगी। लिहाजा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा कि डिक्री से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है।

23/12/24

4. अनत में वादीगण द्वारा प्रार्थना कि गई कि विवादित आराजी वाके ग्राम कोठैन खुर्द पर प्रतिवादीगण के साथ निस्फ हिससे का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

वादी का वादपत्र दर्ज रंजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। परन्तु जरिए नोटिस तामील न होने पर प्रतिवादीगण की तलवी जरिए अखबार साया से कराई गई। प्रतिवादीगण की तामील मानते हुए इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई।

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2068–71 वाके ग्राम कौठेनखर्द, नकल जमाबंदी संवत 2013–16 वाके ग्राम कौठेनखर्द , नकल जमाबन्दी सवत 2017 वाके ग्राम कौठेनखर्द एवं नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 व 2028 वाके ग्राम कौठेनखर्द, भूप्रबंधक विभाग संवत 2028 वाके ग्राम कौठेनखर्द पेश किये गये। तथा मौखिक बयान के रूप में शपथ पत्र विनोद कुमार पुत्र करनसिंह उर्फ दीवान जाति जाट निवासी कौठेन खुर्द पेश किया गया।

वादीगण के अधिवक्ता की बहस एकतरफा सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि वादी द्वारा प्रस्तुत हाल जमाबंदी संवत 2068–71 वाके ग्राम कौठेन खुर्द पर आराजी खसरा नंबर 398, 428, 429 पर राजवीर, रामवीर, श्यामवीर प्रेमसिंह सत्यवीर पि. गोरधन व हि. बा. कौम जाट सा.देह के खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। जो कि उक्त विवादित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम है। तथा नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 व 2028 वाके ग्राम कौठेनखर्द से हाल व गत खसरा नम्बरान का मिलान हो रहाहै। एवं नकल जमाबंदी संवत 2013–16 वाके ग्राम कौठेनखर्द पर रामसरन,सूरजमल पिस. चन्दा व हि. बा., कन्हैया व हरदेव पि. भेला ब हिस्सा बराबर 2/3 हि. गोरधन व अगूर व दीवान कि खातेदारी का अंकन हो रहा है। यानि वादीगण के पिता करनसिंह व प्रतिवादीगण के पिता गोरधन तथा तीसरे भाई अंगूर जिसका देहान्त बिला औलाद हो चुका है। तथा नकल जमाबंन्दी सवत 2017 वाके ग्राम कौठेनखर्द में विवादित आराजीयात पर गोरधन वल्द सुखन कौम जाअ सा. देह यानि

23/12/24

प्रतिवादीगण के पिता के नाम खातेदारी का अंकन हो रहा है। तथा नकल भूप्रबंधक विभाग संवत 2028 वाके ग्राम कौठेनखर्द पर प्रतिवादी के पिता गोरधन के नाम खातेदारी का अंकन हो रहा है। इस प्रकार विवादित आराजी संवत 2017 से प्रतिवादीगण के पिता गोरधन के नाम व अन्य खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है। परन्तु वादीगण द्वारा नकल जमाबंनदी संवत 2009 –2012 की नकल पेश नही कि गई जिससे साबित हो ता हो कि उक्त विवादित आराजीया पर वादीगण के पिता करनसिंह उर्फ दिवान के नाम खातेदारी रही हो। इसके अलावा वादीगण द्वारा करनसिंह उर्फ दीवान का दस्तावेज पेश नही किया गया कि करनसिंह ही दीवान है। तथा रिकॉर्ड में केवल करनसिंह ही दर्ज है। अत दस्तावेजी साक्ष्य के अभावा एवं प्रस्तुत रिकॉर्ड से वादीगण का वाद पत्र काबलि खारिजी के है।

अतः आदेश है कि वादीगण का वाद पत्र सिद्ध ना होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो

निर्णय आज दिनांक 23.12.24 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

23/12/24

गंगाधर मीना (R.A.S.)
सहायक कलक्टर नदबई

सत्यमेव जयते